

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 14/14 वैवाहिक

1-श्रीमती गिरजादेवी विधवा पत्नी स्व0 श्री रणवीर सिंह राठौर, आयु 31 वर्ष, जाति राठौर, धंधा गृहकार्य, निवासी वार्ड नं09 झण्डूऊ मौहल्ला मौ, हाल निवासी ग्राम आरौली, थाना हस्तिनापुर पोस्ट हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर म0प्र0

2-कु0 नीशू पुत्री स्व0 श्री रणवीर सिंह आयु 10 वर्ष

3-कु0 अंजली पुत्री स्व0 श्री रणवीर सिंह, आयु 12 वर्ष, नावालिग व सरपरस्त मां खुद श्रीमती गिरजादेवी विधवा पत्नी स्व0 श्री रणवीर सिंह राठौर, निवासी ग्राम वार्ड नं09 झण्डूऊ मौहल्ला मौ, हाल निवासी ग्राम आरौली, थाना व पोस्ट हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर म0प्र0

----- आवेदकगण

बनाम

1-कैलाश सिंह पुत्र स्व0 श्री खेमू आयु 55 वर्ष, जाति राठौर, धंधा-दुकानदारी (किराना स्टोर की दुकान), जाति राठौर, निवासी वार्ड नं09 झण्डूऊ मौहल्ला मौ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर गुप्ता अधिवक्ता

अनावेदक द्वारा श्री अवध बिहारी पाराशर अधिवक्ता

//आ दे श//

// आज दिनांक 30-09-2015 को पारित किया गया //

1- आवेदिकागण/याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 19 एवं 22 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आवेदिकागण ने अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाये जाने की याचना

की गई है ।

2— यह अविवादित है कि, आवेदिका क्रं01 का विवाह अनावेदक के पुत्र रणवीर सिंह के साथ सम्पन्न हुआ था । आवेदक क्रं0 2 व 3 उनकी सन्तान होकर अनावेदक की पोतियां हैं । यह भी अविवादित है कि दिनांक 7-12-11 को आवेदिका क्रं01 के पति रणवीर सिंह की मृत्यु हो गयी है ।

3— आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदिका क्रं0 1 की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व अनावेदक के पुत्र रणवीरसिंह के साथ विधिवत् हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी जिसमें उसके माता पिता द्वारा घरेलू उपयोग के सामान जिसमें वर्तन, टी.व्ही. पंखा आदि तथा 70000/- रुपये नगदी दान दहेज दिया था जिसे अनावेदक व उसके परिवार वाले शादी के बाद अपने घर ले आये। लेकिन उससे भी अनावेदक एवं उसके परिवार वाले सन्तुष्ट नहीं हुये और अन्य दहेज में 50000/- रुपये लाने के लिये मांग करते रहे। आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक के पुत्र रणवीर के संसर्ग से दो पुत्रियाँ आवेदिका क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ। दिनांक 7-12-2011 को आवेदक क्रं01 के पति रणवीर सिंह की रेल दुर्घटना में दिल्ली के ओखलरली स्टेशन एन0डी0 पर मृत्यु हो गई जिससे गिरजादेवी अनावेदक कैलाश सिंह की विधवा पुत्र वधु है और आवेदिका क्रमांक 2 व 3 रणवीर सिंह की पुत्री होकर अनावेदक की नातिनी है। आवेदकगण का भरण पोषण एवं पालन पोषण करने का अनावेदक का नैतिक एवं कानूनी रूप से दायित्वधन है । आवेदिका क्रं01 के पति रणवीर सिंह की मृत्यु होने पर अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने आवेदिका के साथ बुरा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और आवेदिका क्रं01 से कहने लगे और उसके माता पिता से दहेज में पचास हजार रुपये की मांग करने लगे । आवेदिका क्रं01 के माता पिता मजदूर पेशा व्यक्ति हैं और बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं इसलिये उन्होंने पेशा देने में असमर्थता जाहिर की । इस प्रकार आवेदिका को दिनांक 4-11-2014 को नावालिग पुत्रियों सहित अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसका भरण पोषण एवं देखरेख करना बंद कर दिया और अनावेदक व उसके परिवार वालों ने आवेदिका से कहा यदि हमारी मांग पूरी नहीं करवाओगी तब तक वह उसे अपने साथ नहीं रखेंगे ।

4. आवेदिका के द्वारा आगे यह भी बताया है कि अनावेदक अपने नाम के मकान जो कि वार्ड नं. 9 मौ में बना है उसको एवं ग्वालियर के प्लॉट व अन्य सम्पत्ति को अपने जीवन काल में अपने अन्य पुत्रों के नाम गलत रूप से करना चाहता है इस प्रकार आवेदिकागण भरण पोषण से पूर्ण रूप से बंचित हो गये हैं । आवेदिकागण के पास स्वयं की कोई संपत्ती नहीं है और न ही वह कोई आय अर्जित कर पा रही है । अनावेदक के पास

किराना स्टोर की बड़ी दुकान मैन बाजार में है जिससे करीब 3-4 लाख रुपये सालाना संपूर्ण खर्चा काटकर आय होती है तथा वार्ड नं0 9 में बड़ा मकान है जिसमें किरायेदार रहते हैं जिससे वार्षिक आय सालाना एक लाख रुपये होती है । दिनांक 7-11-14 को अनावेदक एवं उसके परिवार वालों के समक्ष वार्ड नं0 9 में समाज के रिस्तेदारों के समक्ष पंचायत हुई जिसमें आवेदिका के पिता भी मौजूद थे जिसमें यह तय हुआ था कि सामान की सूची के अनुसार ससुर कैलाश अनावेदक द्वारा आवेदिका की शादी में दिया हुआ सारा सामान एवं ग्वालियर के प्लॉट के हिस्से के ढाई लाख रुपये तथा मौ के मकान में चौथा हिस्सा देने की बात तय हुयी थी एवं आवेदिका क्रं0 2 के नाम बैंक में 40000 रुपये जमा हैं उन्हें देने की बात हुयी थी जो कि रुपये उसके मृतक पति ने मजदूरी करके बैंक में जमा किये थे । उन्हें भी गलत रूप से आवेदिका क्रं0 2 कु0 नीशू को अपना बारिस बनाकर अपने खाते में गलत रूप से जमा करा लिये और पंचायत में तय हुआ हिस्सा देने को तैयार नहीं हुये । इस प्रकार अनावेदक के द्वारा आवेदिकागण का कोई भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में आवेदिकागण ने अनावेदक से भरण पोषण राशि 15000/- रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

5— अनावेदक की ओर से अनावेदिकागण की ओर से प्रस्तुत याचिका का जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों को इन्कार किया है। अनावेदक एवं उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी राशि की कभी कोई मांग नहीं की बल्कि अनावेदिका शादी के तुरंत बाद से अपने भाई सालिगराम के साथ में अनावेदक के पुत्र को लेकर शादी के बाद से अनावेदक के परिवार से पृथक् रहकर दिल्ली में निवासरत रही है और उसकी सारी कमाई आवेदिका अपने पास रखती थी । आवेदिका ने अनावेदक से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व से ही संबंध समाप्त कर लिये थे । आवेदक क्रं0 2 व 3 अनावेदक की नातिन हैं किन्तु अनावेदक से संबंध समाप्त करने पर अनावेदक का कोई नैतिक दायित्व नहीं होता है फिर भी अनावेदक द्वारा अपने पुत्र रणवीर के देहान्त होने के पश्चात् अपनी मजदूरी की कमाई से कुछ राशि आवेदक क्रं0 2 एवं 3 के नाम जमा करके उनके भविष्य की सुरक्षा के हित में जमा किये हैं परन्तु फिर भी आवेदिका अपने मां बाप के कहने में आकर अनावेदक को परेशान किये है तथा अपने मायके में निवास कर रही है । अनावेदक द्वारा कभी किसी राशि की मांग नहीं की है । अनावेदक के पास कस्वा मौ में एक छोटा सा मकान है उसके अलावा कोई प्लॉट ग्वालियर में नहीं है । अनावेदक 60 वर्षीय वृद्ध होकर मजदूरी करने में भी असमर्थ है तथा गरीबी रेखा के नीचे हाथ ठेला चलाकर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है । अनावेदक द्वारा आवेदिका को किसी प्रकार की कोई धोस नहीं दी है । अनावेदक द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु होने के बाद

अपनी नातिनी जो कि प्रकरण में आवेदिका कं0 2 व 3 हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुये जो राशि जमा की थी उसको भी आवेदिका लेजाकर अपने माता पिता को देना चाहती है तथा अपनी दूसरी शादी करने की फिराक में है जिससे आवेदिका कं0 2 व 3 का भविष्य असुरक्षित होगा । आवेदिका 13-14 वर्ष से निरंतर दिल्ली रही है तथा उसके बाद वह अपने माता पिता के पास ग्राम आरौली में रही है । ऐसी दशा में आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6- उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनकी विवेचना उपरांत निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं :-

कं0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या आवेदिका क्रमांक.1 अनावेदक की विधवा पुत्र वधु होकर अपना भरण पोषण करने में असक्षम है ?	
2.	क्या अनावेदक के द्वारा आवेदिका एवं उसके नाबालिग पुत्रों के भरण पोषण नहीं किया जा रहा है ?	
3.	क्या आवेदिकागण अनावेदक से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है यदि हां तो कितना ?	
4.	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

विचारणीय बिन्दु कं0 1 व 2 पर निष्कर्ष :-

7- आवेदिका कं01 गिरजादेवी अनावेदक की पुत्रवधु होना अविवादित है । गिरजादेवी का विवाह अनावेदक के पुत्र रणवीरसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था वह रणवीर की विवाहिता पत्नी है । आवेदक कं0 2 व 3 गिरजादेवी रणवीर की पुत्री सन्तान हैं जो कि इस संबंध में

अनावेदक के द्वारा की गयी स्वीकारोक्ती से स्पष्ट है । आवेदिका कं01 के पति एवं आवेदक कं0 2 व 3 के पिता रणवीर सिंह की मृत्यु दिनांक 7-12-2011 को नई दिल्ली में होने के संबंध में आवेदिका के द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्र0पी04 पेश किया गया है जिससे कि रणवीर की मृत्यु हो जाना प्रमाणित है । इस प्रकार आवेदिका कं01 अनावेदक की विधवा पुत्रवधु है तथा आवेदिका कं0 2 व 3 अनावेदक की पुत्र की पुत्रियां होकर उसकी पोतियां हैं ।

8— आवेदिका गिरजादेवी आवेदिका साक्षी कं01 ने अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसके पति रणवीर की मृत्यु के बाद अनावेदक व उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरा व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया और यह कहने लगा कि इसने पुत्रियों को ही जन्म दिया है तथा दहेज की मांग भी उसके द्वारा की जाने लगी । दिनांक 4-11-14 को उसे व उसके नावालिंग पुत्रियों को अनावेदक व उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया और आवेदकगण का भरण पोषण करना बंद कर दिया । आवेदिका ने आगे यह भी बताया है कि उसके पास भरण पोषण हेतु आय का कोई साधन नहीं है । वह अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है जो कि मजदूर पेशा एवं गरीब व्यक्ति हैं मुश्किल से उनका भरण हो रहा है ।

9— अनावेदक के पास उसके भरण पोषण के साधन सम्पन्न होने के संबंध में आवेदिका के द्वारा बताया गया है कि अनावेदक के पास कस्वा मौ में मकान है और उसके पास प्लॉट व अन्य संपत्तियां भी हैं । अनावेदक का मौ स्थित मकान में किरायेदार भी रहते हैं जिससे कि एक लाख रुपये की वार्षिक आमदनी हो जाती है इसके अतिरिक्त अनावेदक किराना स्टोर की दुकान भी करता है । इस प्रकार अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है और आवेदकगण के भरण पोषण करने हेतु सक्षम है किन्तु उसके द्वारा आवेदकगण का कोई भी भरण पोषण नहीं किया जा रहा है ।

10— आवेदिका के द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि अनावेदक के द्वारा उनका भरण पोषण न करने के कारण उसके द्वारा अपने मृत पति की जायदाद में हिस्सा मांगा गया और इस संबंध में रिस्तेदारों के समक्ष पंचायत भी हुयी थी जिसमें अनावेदक ने शादी में दिया गया सारा सामान ग्वालियर के प्लॉट के ढाई लाख रुपये तथा मौ के मकान में चौथाई हिस्सा देना तय किया था और आवेदिका कं02 के नाम पर स्वर्गीय रणवीर सिंह के द्वारा जमा कराये गये चालीस हजार रुपये की राशि जो कि अनावेदक ने अपने नाम पर करा लिया है उसे भी देना तय किया था किन्तु अनावेदक के द्वारा तय सुदा कोई भी हिस्सा उसे नहीं दिया । इस संबंध में थाना मौ में दिनांक 9-11-14 को रिपोर्ट की गयी थी । रिपोर्ट की प्रति प्र0पी0 1 उसके द्वारा पेश की गयी है इसके अतिरिक्त निर्वाचन पहचानपत्र असल प्र0पी0 2 और

राशनकार्ड प्र0पी03 पेश किया है ।

11— आवेदिका गिरजादेवी के द्वारा किये गये कथन की पुष्टि आवेदिका साक्षी ओमप्रकाश साक्षी क्रं02 तथा राजेन्द्र साक्षी क्रं03 के कथन से भी होती है । जिनके द्वारा भी यह बताया गया है कि आवेदिका एवं उसके नाबालिग पुत्रियों को अनावेदक व उसके परिवार वालों ने अपने घर से निकाल दिया । अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है जबकि अनावेदिका के पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है । आवेदिका को सम्पत्तियों में हिस्सा देने के लिये पंचायत होना और पंचायत में एक चोथाई हिस्सा आवेदिका को देना तय होना उसके उपरान्त भी कोई हिस्सा उसे न देना उनके द्वारा बताया गया है । उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है ।

12— आवेदिका गिरजादेवी साक्षी क्रं01 के द्वारा किये गये उपरोक्त कथन का जहां तक प्रश्न है प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि वह आठ महीने से अपने पिता के पास रह रही है उसके पिता के पास कोई जमीन जायदाद नहीं है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान नहीं करते हैं और उसे अच्छी तरह से रखने को तैयार हैं । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की है । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके ससुर के पास कोई पुस्तेनी संपत्ती नहीं है । यद्यपि संपत्ती के संबंध में कोई भी दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका है ।

13— उपरोक्त संबंध में अनावेदक कैलाश अनावेदक साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया है कि उसके पास कोई साधन नहीं है वह मजदूरी करने लायक नहीं है । उसे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 45 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह मिलता है जिससे परिवार की व्यवस्था मुश्किल से कर पा रहा है । वह आवेदिका को अपने घर रखने और उसका भरण पोषण करने को तैयार है ।

14— साक्षी कैलाश के इस संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान आए हुए कथन अतिमहत्वपूर्ण है । जिसमें कि अनावेदक के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि दिनांक 7-11-14 को उसके मकान में समाज के लोगों की पंचायत हुयी थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि गिरजादेवी को शादी में दिया गया सामान और ग्वालियर और मौ के मकान में हिस्सा दिया जाये और इस बात को भी स्वीकार किया कि उसके लडके रणवीर ने जो चालीस हजार रुपये आवेदिका क्रं02 के नाम जमा किये थे उसके कागजात उसने अपने पास रखे हैं । इस बात को भी स्वीकार किया है कि पंचायत में पंचों के सामने यह तय हुआ था कि पूरी संपत्ती का 1/4 हिस्सा आवेदिका और उसकी पुत्रियों को दिया जायेगा और इस बात को भी स्वीकार किया है कि पंचायत में जो तय हुआ था उसके अनुसार उसने कोई हिस्सा आवेदिका

को नहीं दिया है । इस प्रकार आवेदिका क्रमांक 1 को सम्पत्ति में हिस्सा होना और उसे 1/4 हिस्सा देना तय हुआ था जो कि उक्त साक्षी के कथन से स्पष्ट है ।

15— इस बिन्दु पर अनावेदक के अन्य साक्षी रामकृष्ण साक्षी क्रं02 के द्वारा भी उक्त बतायी गयी पंचायत होना और पंचायत में गिरजादेवी एवं उसके बच्चों को भरण पोषण देना तय हुआ था और पंचों के तय अनुसार संपत्ती आवेदिका को नहीं दिया गया । इस बात को भी स्वीकार किया है कि आवेदिका मो से अपने पिता के पास बच्चों सहित रह रही है । उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अनावेदक कैलाश की मौ में दुकान है तथा मौ कस्बा में 15 विस्वा जमीन भी उसके पास है । मौ स्थित उसके मकान में दो दुकाने आगे और दो दुकाने पीछे बनी हुयी हैं और कुछ कमरे भी बने हैं । जहां पर दुकाने स्थित हैं वहां पर दुकाने चलती हैं ।

16— इस प्रकार स्वयं अनावेदक कैलाश अना0सा0 1 तथा अनावेदक साक्षी रामकृष्ण साक्षी क्रं02 के उक्त स्वीकारोक्ती के आधार पर यह स्पष्ट है कि अनावेदक के पास मौ कस्बे में और ग्वालियर में संपत्ती है और वह किराने की दुकान भी करता है । उक्त साक्षियों के द्वारा की गयी स्वीकारोक्ती के आधार पर यह भी प्रमाणित है कि आवेदिका को संपत्ती में 1/4 हिस्सा देना तय हुआ था जो कि पंचायत में तय होने के उपरान्त भी उसे कोई हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है और न ही अनावेदक के द्वारा आवेदिका को भरण पोषण की कोई राशि प्रदान की जा रही है । अनावेदक के द्वारा आवेदकगण को अपने पास रखकर उनका कोई भरण पोषण भी नहीं किया जा रहा बल्कि आवेदिका को मजबूरीबश अपने मायके में अपनी पुत्रियों सहित रहना पड रहा है ।

17— आवेदिका के पास उसकी एवं उसकी नावालिग पुत्रियों के भरण पोषण हेतु कोई साधन या संपत्ती होना कहीं प्रमाणित नहीं है, बल्कि आवेदिका वर्तमान में अपने मायके में अपने पिता के पास रह रही है । पिता की भी ऐसी कोई संपत्ती नहीं है जिसमें कि उसे कोई हिस्सा मिला हो और जिससे वह भरण पोषण कर सके । इस प्रकार आवेदिका स्वयं व अपने नावालिग पुत्रों के भरण पोषण करने में सक्षम व साधन सम्पन्न होना नहीं पायी जाती ।

18— तदनुसार यह प्रमाणित है कि आवेदिका क्रं01 अनावेदक की विधवा पुत्र वधु है जो कि अपने भरण पोषण करने में असक्षम है तथा यह भी प्रमाणित पाया गया है कि अनावेदक जो कि आवेदिका क्रं01 का ससुर है तथा आवेदिका क्रं0 2 व 3 का दादा है के द्वारा उसके पास संपत्तीयां होने एवं साधन सम्पन्न होने के उपरान्त भी उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है । तदनुसार बिन्दु क्रं01 का निराकरण कर उत्तर “हां” में दिया जाता है तथा बिन्दु क्रमांक 2 का भी उत्तर “हां” में दिया जाता है ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3:-

19- प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्न क्रं0 1 व 2 पर निकाले गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि आवेदिका क्रं01 जो कि अनावेदक की विधवा पुत्र वधु है तथा आवेदक क्रं02 व 3 उसकी नावालिग सन्तानें हैं अनावेदक के द्वारा आवेदिका को संपत्तियों में 1/4 हिस्सा देना तय किया गया था । तय अनुसार उसके द्वारा कोई हिस्सा संपत्तियों का आवेदिका को नहीं दिया गया है और न ही उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था आवेदक के द्वारा की जा रही है। ऐसी दशा में प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में निश्चित तोर से आवेदकगण अनावेदकगण से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

20- भरण पोषण की राशि का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में यद्यपि अनावेदक की कोई निश्चित आय होना प्रमाणित नहीं है किन्तु अनावेदक के पास जो संपत्तियां हैं और जिनमें कि आवेदिका का हिस्सा होना भी उसने स्वीकार किया है उसको देखते हुये तथा आवेदक की आय के साधन व उसकी उम्र को देखते हुये आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण के रूप में 5000/- पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा । तदनुसार वर्तमान वाद प्रश्न का निराकरण उत्तर “हां” में देते हुये आवेदकगण को भरण पोषण के रूप में अनावेदक से दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है ।

सहायत एवं व्यय :-

21- उपरोक्त विवेचना एवं विप्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के आवेदनपत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । यह आदेशित किया जाता है कि अनावेदक आवेदकगण के भरण पोषण हेतु 5000/- पांच हजार रुपये प्रतिमाह अदा करे जो कि भरण पोषण की उक्त राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक देय होगी । उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड